न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 938 / 2024

अनवान : –

1. विक्रम दान चारण पुत्र सवाईदान जाति चारन साकिन ढाणी चारणान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– **असल प्रतिवादी**

2. महेश दान पुत्र सवाईदान जाति चारन साकिन ढाणी चारणान तहसील नोहर।

– **तरतीबी प्रतिवादी**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88
राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 24/03/26

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया की रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204 / 192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि में से 17552 / 76825 वादी के व 17552 / 76825 हिस्साा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वादी का नाम विक्रम दान पुत्र सवाई दान है एवं प्रतिवादी स0 2 का नाम महेश पुत्र सवाई दान दर्ज है जो की सहवन से दर्ज हुआ है वादी का सही व वास्तविक नाम विक्रम दान चारण पुत्र सवाईदान एवं तरतीबी प्रतवादी स0 2 का नाम महेश दान है। राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम सही दर्ज नही होने के कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड, जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम विक्रमदान पुत्र सवाईदान व महेशदान दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया जो की शामिल मिसल किया गया।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उपरोक्त वर्णित वाद भूमि में वाद[illegible]सवाई दान है एवं प्रतिवादी स0 2 का नाम महेश पुत्र सवाई दान द[illegible] वादी का सही व वास्तविक नाम विक्रम दान चारण पुत्र स[illegible] प्रतवादी स0 2 क[illegible] महेश दान है। राजस्व रिकार्ड में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का [illegible] सही दर्ज नही हो[illegible] कारण वादी के खातेदारी हकों का हनन हो रहा है। वादी के समस्त दस्तावेजों में वादी का नाम आधार कार्ड,

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:16:13 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

जनआधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम विक्रमदान पुत्र सवाईदान व महेशदान दर्ज है। अत वादी के दस्तावेजो के मुताबिक वादी का नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे। वाद वादी डिक्री किया जावे।

हमारे द्वारा अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि में से 17552/76825 वादी के व 17552/76825 हिस्साा भूमि प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व है। उक्त वाद भूमि में वादी का नाम विक्रम पुत्र सवाईदान दर्ज है एवं तरतीबी प्रतिवादी का नाम महेश पुत्र सवाईदान दर्ज है। वादी व तरतीबी प्रतिवादी द्वारा अपना नाम विक्रम दान चारन व तरतीबी प्रतिवादी द्वारा महेश दान दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात आधार कार्ड, मतदाता पहचना पत्र, जनआधार कार्ड आदि में वादी व तरतीबी प्रतिवादी का नाम विक्रम दान चारन व महेशदान अंकित है। अत वाद वादी साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वादी द्वारा साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204/192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि में से 17552/76825 वादी के व 17552/76825 हिस्साा भूमि तरतीबी प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व है, में वादी का नाम विक्रम पुत्र सवाईदान के स्थान पर विक्रम दान चारन पुत्र सवाईदान व तरतीबी प्रतिवादी महेश पुत्र सवाईदान के स्थान पर महेश दान पुत्र सवाईदान के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...24/03/26... को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम की जाकरा दाखिल दफ्तर हों ।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:16:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 938 / 2024

अनवान : –

1. विक्रम दान चारण पुत्र सवाईदान जाति चारन साकिन ढाणी चारणान तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर।

– असल प्रतिवादी

2. महेश दान पुत्र सवाईदान जाति चारन साकिन ढाणी चारणान तहसील नोहर।

– तरतीबी प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 938 सन 2024 निर्णय दिनांक 24/03/26

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष उभयपक्ष की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है कि रोही मौजा ढाणी चारणान तहसील नोहर के खाता स0 204 / 192 की कुल 46.0950 हैक्ट भूमि में से 17552 / 76825 वादी के व 17552 / 76825 हिस्साा भूमि तरतीबी प्रतिवादी स0 2 के नाम दर्ज राजस्व है, में वादी का नाम विक्रम पुत्र सवाईदान के स्थान पर विक्रम दान चारन पुत्र सवाईदान व तरतीबी प्रतिवादी महेश पुत्र सवाईदान के स्थान पर महेश दान पुत्र सवाईदान के अंकन की घोषणा की जाती है। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्ट में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश अथवा वाद विवाद न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/03/26 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी कि गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 18:16:13 IST
Reason: SelfAttested